कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला सलूम्बर

प्रार्थी श्री भेरूलाल व अन्य
विपक्षी श्री शंकरसिंह व अन्य
किस्म मुकदमा धारा–212 राज. काश्त. अधिनियम
प्रकरण संख्या– 63/2023

	कार्यवाही विवरण	
24–07–2024	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज आदेश मे नियत है। प्रार्थीगण द्वारा आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 सी.पी.सी. व धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि मौजा गुड पटवार हल्का बामनिया तहसील सलूम्बर जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के खाता सं. 241 कुल किता 03 रकबा 0.30 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है जिसमे प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा है। जिसमें प्रतिवादीगण का किसी तरह का कोई हक हिस्सा नही है। विपक्षीगण प्रार्थना पत्र मे वर्णित प्रार्थीगण की आराजीयात की भूमि जबरन कब्जा करना चाहते है एवं आये दिन बाड काट देते है व फसल नष्ट कर देते है तथा मना करने पर भी नही मानते है। जिससे मजबुर होकर प्रार्थीगण को विपक्षीगणं के विरूद्ध यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना पड रहा है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूर्णियक्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे है। अतः प्रार्थना है कि विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया वे प्रार्थना पत्र मे वर्णित प्रार्थीगण की कृषि भूमि मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे। ना ही उक्त कृत्य अपने नौकरो, परिजनो से करावे। प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण के गैर हाजिर रहने विपक्षीगण के खिलाफ़ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तद्पश्चात पत्रावली मे अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता बहस अपने प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराया एवं कंथन किया कि विपक्षीयो के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही हो चूकी है। विपक्षी हमारे खेत पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करते है भूमि हमारे खातेदारी की है। विपक्षी हमारे सहखातेदार नहीं है। हमारा धारा 188 का दावा है अतः श्रीमान् से निवेदन है कि विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना फरमावे। बहस मनन की गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। मौजा गुड पटवार हल्का बामनिया राजस्व जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के खाता सं. 241 किता 3 रकबा 0.30 हैक्टेयर भूमि संयुक्त खातेदारी की होकर प्रार्थीगण के अलावा अन्य खातेदार के नाम भी दर्ज अंकित है जिन्हे प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र मे पक्षकार नही बनाया है। ऐसी स्थिति मे मात्र प्रार्थीगण को सुन कर संयुक्त खातेदारी भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायालय उचित नही समझता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (पर्वत सिंह चूण्डावत) उपखण्ड अधिकारी सहायक कलक्टर सलूम्बर सलूम्बर जिला सलूम्बर	

सहायक कलक्टर सलूम्बर